99

संख्याः– /XVIII(II)/2014–01(18)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 8 जुलाई, 2014

विषयः–परम शक्तिपीठ लव–102, अग्रसेन आवास, 66 इन्द्रप्रस्थ विस्तार, दिल्ली परम पूज्या साध्वी ऋतम्बरा जरिये प्रतिनिधि श्री अजय गोयनका पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गोयनका को ग्राम नाला पटवारी क्षेत्र गुप्तकाशी, तहसील ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत घटित दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता एवं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना हेतु 0.261 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–3291/सात–2(2013–14) दिनांक 28.05.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, परम शक्तिपीठ लव–102, अग्रसेन आवास, 66 इन्द्रप्रस्थ विस्तार, दिल्ली परम पूज्या साध्वी ऋतम्बरा जरिये प्रतिनिधि श्री अजय गोयनका पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गोयनका को ग्राम नाला पटवारी क्षेत्र गुप्तकाशी, तहसील ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग अन्तर्गत घटित दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों की सहायता एवं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना हेतु 0.261 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(I) एवं (III) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के

.....2

अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है, अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है, तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना के लिए ही किया जायेगा।

7– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धनमुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाए।

8– आवेदक द्वारा विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतिया/अनुज्ञा/अनापत्ति आदि स्वयं प्राप्त करनी होंगी।

9– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

10– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

.....3

11– योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों (शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग) से विधिक व अन्य अनापत्ति/स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।

12– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

13– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाए।

14– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0– 1944 /समदिनांकित/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
5– श्री अजय गोयनका पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गोयनका प्रतिनिधि परम शक्तिपीठ लव–102, अग्रसेन आवास, 66 इन्द्रप्रस्थ विस्तार, दिल्ली।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सतोष बडोनी)
उप सचिव।